न्यायालय–अवर न्यायाधीश द्वितीय, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 16/2023

बनारसी सिंह .....वादी।

बनाम्

दलगर्जन सिंह वगै0..... प्रतिवादीगण।

आदेश

08.09.2023

उभय पक्षों की पैरवी है। अभिलेख आज आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। वादी के तरफ से दिनांक–22.05.2023 को दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 दफा 151 सी0 पी0 सी0 में वादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वादी द्वारा यह वाद प्रतिवादी सं0 1 दलगर्जन सिंह वो प्रतिवादी सं0 2 के पति रंग बिहारी सिंह द्वारा प्रतिवादी सं0 5 रामअशीष सिंह के पक्ष में बिना कब्जा दखल व हक के लिखे गये केवाला दिनांक –24.09.2022 को शून्य घोषित करने हेतु दाखिल किया गया है। वादी द्वारा वादपत्र के अनुसूची 2 में दर्ज विवादित स्थल पर पक्षकारों के कब्जा दखल के निश्वत नजरी नक्शा दर्शाया गया है जिसके विपरीत प्रतिवादी सं0 5 द्वारा झगड़ा खरीदने हेतु अपने पक्ष में केवाला लिखवाया गया है तथा प्रतिवादी सं0 5 व अन्य द्वारा केवाला में दर्ज एराजी पर नाजायज वो गैरकानूनी तरीके से कब्जा करने का असफल प्रयास किया जाता है। वादी के विद्वान अधिवक्ता अनुरोध करते हैं कि वादपत्र के अनुसूची 2 में दर्ज एराजीयात के वर्तमान हैत हालात के सम्बंध में किसी अधिवक्ता आयुक्त की बहाली का उनसे प्रतिवेदन के साथ नजरी नक्शा की मांग का आदेश दिया जाये।

प्रतिवादीगण के तरफ से दिनांक– 21.08.2023 को प्रतिउत्तर दाखिल किया गया है, जिसमें प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वादी का आवेदन कानूनतः पोषणीय नहीं है तथा सही तथ्य को छुपाकर गलत तथ्य के आधार पर दाखिल किया गया है तथा अर्जी में जो नजरी नक्शा दर्शाया गया है वह बिल्कुल गलत वो निराधार है। उसमें किसी खाता खेसरा का जिक नहीं है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का ये भी कथन है कि प्रतिवादी द्वारा जो निषेधाज्ञा आवेदन पर जो जवाब दाखिल किया गया है उसे भी इस आवेदन के जवाब का अंश माना जाये। वादी का यह कहना बिल्कुल गलत है कि विवादित एराजी वादीगण के हिस्से की एराजी

लगातार
08.09.2023

है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का ये भी कथन है कि वादी बनारसी सिंह ने दिनांक– 31.03.2009 को लाल बिहारी सिंह से उनकी एराजी में रास्ते के सटे पश्चिम प्लाट नं0 3988 में खरीद किये हैं जिसको अपने अर्जी में छुपा दिये हैं। वादीगण के विक्रय पत्र से यह स्पष्ट होगा कि बंटवारा से प्रतिवादी सं0 1 दलगर्जन सिंह एवं प्रतिवादी सं0 2 के पति रंगबिहारी सिंह को खाता सं0 248, प्लाट न0 3988 में 4 डी0 एराजी मिली थी उसे प्रतिवादी सं0 5 अपने सह हिस्सेदरान को दिनांक– 24.09.2022 को विक्री किया है तथा दखल कब्जा दे दिया है जिस पर रामाशीष सिंह का दखल कब्जा बतौर खरीदार चला आता है जिसको हड़पने के लिए वादी ने गलत मुकदमा किया है। वादी अधिवक्ता आयुक्त के माध्यम से साक्ष्य इकट्ठा करना चाहते हैं। प्रतिवादी के विद्वान अधिवकता अनुरोध करते हैं कि वादी का आवेदन खारिज किया जाये।

उभय पक्ष को पूर्व में सुना जा चुका है। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा यह वाद प्रतिवादी सं0 1 दलगर्जन सिंह वो प्रतिवादी सं0 2 के पति रंग बिहारी सिंह द्वारा प्रतिवादी सं0 5 रामअशीष सिंह के पक्ष में बिना कब्जा दखल व हक के लिखे गये केवाला दिनांक –24.09.2022 को शून्य घोषित करने हेतु दाखिल किया गया है। वादपत्र के अनुसूची सं0 1 में दिये गये वंशावली से स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष एक ही खानदान के वंशज हैं। वादी का यह भी कथन है कि वादपत्र के अनुसूची सं0 2 में दर्ज एराजीयात के निश्वत स्व0 राजपति सिंह के सभी वंशजों में मौखिक रूप से माकूल व मुस्तकिल बंटवारा हो चुका है। राजपति सिंह के अन्य वंशजों को विवादित प्लाट के बदले मौरूसी बस्ती के अन्दर के अन्य प्लाट की 16 कट्ठा एराजी प्राप्त हुई थी जिसमें दखल कब्जे व हकीयत के आधार पर उनके द्वारा उक्त एराजी में पंजीकृत केवाला के माध्यम से विक्री कर खरीदार को कब्जा दखल भी दे दिया तथा शेष एराजी में उनका मकान स्थित है। विवादित प्लाट से सिर्फ वादी, प्रतिवादी सं0 5 रामाशीष सिंह वो रामसिंहासन का हक अधिकार व कब्जा दखल है जिससे अन्य किसी को किसी तरह का एलाका वो सरोकार नहीं है। विवादित प्लाट में प्रतिवादी सं0 5 वो अन्य द्वारा गैर कानूनी तरीके से अतिक्रमण कर दरबाजा लगाने का असफल प्रयास किये जाने पर धारा 144 का मुकदमा अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरॉव के समक्ष किया गया था। दिनांक– 13.07.

लगातार

08.09.2023

2009 को एकरारनामा का कागज लिखा गया जिस पर दखल कब्जा के अनुसार वादी, पतिवादी सं0 5 वो रामसिंहासन सिंह वो अन्य द्वारा पंचो, गवाहों वो अमीन के साथ साथ अपना हस्ताक्षर बनाया और उक्त एकरारनामा के आलोक में रहते चले आ रहे हैं। दिनांक– 24.09.2022 को प्रतिवादी सं0 5 के द्वारा वादपत्र के अनासूची सं0 2 में दर्ज एराजी के निश्वत प्रतिवादी सं0 1 दलगर्जन सिंह वो प्रतिवादिनी सं0 2 के पति रंगबिहारी सिंह से अपने नाम जाली फरेबी धोखाधड़ी से बिना किसी हक अधिकार वो कब्जा दखल के केवाला वजूद में लाया है जो शून्य दस्तावेज है। चूंकि इस वाद में प्रतिवादीगण द्वारा बयान तहरीरी भी दाखिल किया गया है जिसमें उन्होंने वादी द्वारा किये गये कथनों से इन्कार किया गया है। उभय पक्षों के द्वारा किये कथनों में विरोधाभास है ऐसी स्थिति में किसी अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति कर उनसे वादपत्र के अनुसूची 2 में दर्ज एराजीयात से वर्तमान हैत हालात के सम्बंध में प्रतिवेदन के साथ नजरी नक्शा मांगा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक– 22.05.2023 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 दफा 151 सी0 पी0 सी0 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी अधिवक्ता आयुक्त का खर्च मो0 2000/– (दो हजार रूपये) तथा अधिवक्ता आयुक्त के रिट हेतु अपेक्षकाएं जमा करे।

वास्ते दिनांक– 16.10.23 धारा– 89 व्यवहार प्रकिया संहिता के अन्तर्गत सुनवाई हेतु।

लेखापित

(राकेश कुमार राकेश)
सब जज द्वितीय, डुमरॉव ।